



# डॉ० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)



पत्रांक : सम्ब0/1206/2026 दिनांक : 15/04/2026

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या,  
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,  
डा० भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।

विषय: "नारी शक्ति वन्दन अधिनियम-प्रचार अभियान" के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक, शासन के पत्र संख्या 377(1)/पी0एस0/उ0शि0/2026, दिनांक 11.04.2026 का सदर्थ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से दिनांक 10 अप्रैल, 2026 से 20 अप्रैल, 2026 तक महिला सशक्तिकरण के सम्बन्ध में विभिन्न गतिविधियों के आयोजन के निर्देश प्रदान किये गये हैं। इस सम्बन्ध में अनुरोध है कि संलग्न प्रारूप में उल्लिखित कार्यक्रमों के अनुसार उक्त अवधि में आवश्यक कार्यक्रमों का आयोजन सुनिश्चित किया जाए।

अतः आपसे अपेक्षा है कि शासन के निर्देशों के क्रम में निर्धारित कार्यक्रमों का आयोजन कराते हुए, प्राचार्य/नामित नोडल अधिकारी के हस्ताक्षर सहित उसकी सूचना निर्धारित समयावधि के भीतर ई-मेल आईडी [mailto:monikasaxena@gmail.com](mailto:mailto:monikasaxena@gmail.com) पर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

उप-कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. प्रभारी, कुलपति सचिवालय - माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. डॉ० मोनिका अस्थाना, स्कूल ऑफ लाइफ साइंस (नोडल अधिकारी, "नारी शक्ति वन्दन अधिनियम-प्रचार अभियान" - इस आशय से कि समस्त महाविद्यालयों से समन्वय स्थापित करते हुए शासन के निर्देशों के क्रम में सूचना ससमय से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा - इस आशय से कि समस्त राजकीय/अनुदानित महाविद्यालयों में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायें।
4. प्रभारी, वेबसाइट - सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करें।
5. अधिकृत एजेंसी - उक्त सूचना समस्त महाविद्यालयों के लॉगिन पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
6. गार्ड फाइल।

उप-कुलसचिव

**महिला आरक्षण अधिनियम-2023 (नारी शक्ति बंदन अधिनियम) के तहत कराये गये कार्यक्रमों का विवरण:-**

महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का प्रकार (GOVT/AIDED/ SELF FINANCE/STATE/PVT UNIVERSITY)	उच्च शिक्षण संस्था का नाम	दिनांक	कार्यक्रमों के नाम	प्रत्येक कार्यक्रम में प्रतिभागी छात्राओं एवं महिलाओं की संख्या पृथक-पृथक अंकित करें	जियो टैगिंग फोटोग्राफ	समाचार पत्रों प्रकाशित समाचार की प्रति
1	2	3	4	5	6	7
			नारी शक्ति पद यात्रा			
			नारी शक्ति बंदन अधिनियम के सपोर्ट हेतु मोबाइल नं०- 9867173333 पर मिस्ड कॉल।			
			नारी शक्ति दीवार एवं हस्ताक्षर अभियान।			
			नानव श्रृंखला।			
			स्कूटी रैली।			
			नूककड़ नाटक।			
			चित्रकला।			
			सैंडआर्ट।			
			नारी बंदन अधिनियम थीम पर रंगोली।			
			अन्य कार्यक्रम।			

नोट:- कालम नं०-06 एवं 07 से सम्बन्धित सामग्री अवश्य संलग्न करे साथ साफटकोपी, एक्सेल सीट में ई-मेल आईडी-[dhonarishaktivandan@gmail.com](mailto:dhonarishaktivandan@gmail.com) पर कार्यक्रम सम्पन्न होने के पश्चात् अगले दिन उपलब्ध कराये।

**हस्ताक्षर**

**प्राचार्य/नोडल अधिकारी**

कार्यालय  
मंत्री, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय पता-63बी/डी, मुख्य भवन, किशनगढ़, लखनऊ।  
कार्यालय दूरभाष-0522 2230051, 2230112(प्रकाश)

संख्या: 377<sup>(1)</sup>/पी0एस0उ0शि0/2026

दिनांक: 11-04-2026

प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।

कृपया संलग्न प्रपत्र "नारी शक्ति वन्दन अधिनियम-प्रचार अभियान" का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से दिनांक 10 अप्रैल, 2026 से 20 अप्रैल, 2026 तक महिला सशक्तीकरण के सम्बन्ध में प्रमुख गतिविधियाँ आयोजित की जानी हैं। प्रपत्र में क्रमांक 4, तथा 9 पर उल्लिखित कार्यक्रम उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों द्वारा तथा क्रमांक- 6 व 8 पर उल्लिखित कार्यक्रमों के संचालन हेतु उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित कर आयोजित किये जाने की मा0 मंत्री जी द्वारा अपेक्षा की गयी है।

कृपया उक्त कार्यक्रम के आयोजन हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने की अपेक्षा की गयी है।

संलग्नक-यथोपरि।

11-04-2026

मूल पर नहीं।

प्रतिलिपि मय संलग्नक निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज को यथोचित कार्यवाही हेतु प्रेषित।


11-04-2026  
(इन्द्र पाल)  
प्रधान निजी सचिव,  
मंत्री  
उच्च शिक्षा विभाग  
उत्तर प्रदेश।

कार्यालय शिक्षा निदेशक, (उ०शि०) उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।

पृष्ठांकन संख्या डिग्री विकास/ 95-98 / 2026-27 दिनांक-11.04.2026

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित कि संलग्न पत्र में इंगित कार्यक्रमों को सम्पन्न कराते हुए उसकी विशेष चयनित फोटोग्राफ एवं आख्या इस कार्यालय के ईमेल- infodheup21@gmail.com, dhedegreevikas@gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

- 1- कुलसचिव, समस्त राज्य/ निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश ।
- 2- अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ ।
- 3- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
- 4- प्राचार्य/ प्राचार्या, समस्त राजकीय/ अशासकीय सहायता प्राप्त/ स्ववित्तपोषित महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश ।

  
डॉ०(बी०ए०एस० शर्मा)  
शिक्षा निदेशक, (उ०शि०)  
उ०प्र०, प्रयागराज ।

# राष्ट्रीय महिला आयोग - प्रचार अभियान

[10 अक्टूबर, 2026 - 20 अक्टूबर, 2026]

देश में महिला आयोग की स्थापना 1990 में हुई थी। देश में 10 करोड़ से अधिक महिलाएं हैं। इनमें से 5 करोड़ से अधिक महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं। इन महिलाओं को अधिकारों के बारे में जानकारी देना और उन्हें अपने अधिकारों का उपयोग करने में सहायता देना हमारा मुख्य उद्देश्य है।

क्र.सं.	विषय	प्रदेश	कार्यक्रम
1	देश में महिला आयोग की स्थापना का उद्देश्य और कार्य	राजस्थान	राजस्थान महिला आयोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम
2	महिला आयोग के अधिकार क्षेत्र	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश महिला आयोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम
3	महिला आयोग के कार्य	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र महिला आयोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम

- पूरे देश में 100 प्रमुख महिला आयोगों के माध्यम से कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा
- कार्यक्रमों में 2 घण्टों का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा
- 11 और 12 अक्टूबर को कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा
- 12 अक्टूबर को अन्तःराष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा

- पूरे देश में अभियान 15 प्रमुख राज्यों पर केंद्रित किया जाएगा
- कार्यक्रमों में अन्तःराष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा
- राज्यों में समाज कार्यकर्ताओं की तैयारी में महिला आयोगों को सहायता दी जाएगी
- कार्यक्रमों में समाज कार्यकर्ताओं की तैयारी में महिला आयोगों को सहायता दी जाएगी
- कार्यक्रमों में समाज कार्यकर्ताओं की तैयारी में महिला आयोगों को सहायता दी जाएगी
- कार्यक्रमों में समाज कार्यकर्ताओं की तैयारी में महिला आयोगों को सहायता दी जाएगी
- कार्यक्रमों में समाज कार्यकर्ताओं की तैयारी में महिला आयोगों को सहायता दी जाएगी
- कार्यक्रमों में समाज कार्यकर्ताओं की तैयारी में महिला आयोगों को सहायता दी जाएगी
- कार्यक्रमों में समाज कार्यकर्ताओं की तैयारी में महिला आयोगों को सहायता दी जाएगी
- कार्यक्रमों में समाज कार्यकर्ताओं की तैयारी में महिला आयोगों को सहायता दी जाएगी

राजस्थान  
[10 अक्टूबर, 2026]  
[14 अक्टूबर, 2026]

4 गरी महिला पढ़ाई  
[15 और 16 अंश]

भाजपा सरकार वाले प्रदेशों में प्रदेश सरकार अन्य प्रदेशों में भाजपा संगठन  
युवा एवं महिला मोर्चा अन्य सामाजिक संस्थाएं स्थानीय प्रशासन के सहयोग से युवा कल्याण विभाग महिला एवं चान-बांग विभाग स्थानीय प्रशासन युवा कल्याण विभाग संगठन

- प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में गरी महिला पढ़ाई का आयोजन किया जाएगा
- देश भर में लगभग 2000 लोगों की सहभागिता के साथ कुल 500 पढ़ाई आयोजित की जाएगी

प्रत्येक पढ़ाई का प्रभावी शिक्षा महिला भाजपा सांसद/विधायक या पदाधिकारी को बनाया जाएगा

- पढ़ाई में नैतिक एवं नैतिक प्रशिक्षण भी किया जाएगा
- पढ़ाई का नेतृत्व प्रतिष्ठित/सामाजिक सेविका महिला से करवाया जाएगा
- MDA सरकार वाले प्रदेशों में लक्ष्मण दीदी सामाजिक, महाविद्यालय के सामाजिक, NCC/NSS के कोचिंग के भी पढ़ाई में जोड़ा जाएगा

- 50 प्रमुख स्थानों पर 200 लोगों के साथ वाइक एवं टी-वार्ड शिबिर आयोजित की जाएगी

- ध्यान दिया जाए कि वाइक एवं टी-वार्ड शिबिर में केवल महिला प्रतिभागी रहेंगी
- शिबिर में प्रमुख सामाजिक तथा महिला सेविकाओं की भागीदारी रहे

- जनसमर्पण सुझावें हेतु मिडल कोल वॉर और डिस्क्रेटरी किया जाएगा
- इस नंबर और डिस्क्रेटरी को सभी कार्यक्रम जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस, पढ़ाई, सम्मेलन, टाउनहॉल में प्रमोट करना है
- जनसंपर्क के दौरान घर, वाइक आदि पर सीधे-सीधे रिटर्न लगाना है

- 100 महिला विचारकों द्वारा अखबारों में लेख और Op-Ed लिखे जाएंगे
- प्रदेश में अधिक से अधिक महिला विचारकों, जनप्रतिनिधियों को Op-Ed लेख/लिखने के लिए प्रेरित किया जाएगा
- प्रदेश के सभी प्रमुख अखबारों में प्रतिनिधित्व संबंधित लेख आए, ऐसी योजना बनायी है

- टी-वार्ड, मुद्रा टाटक, पत्रकला, लोकगीत, और अन्य स्थानीय कलाविधाओं के प्रयोग से विमर्श निर्माण करना है

- सभी प्रमुख स्थानों पर "गरी महिला पढ़ाई" स्थापित की जाएगी, जहाँ महिलाओं ने

5 वाइक एवं टी-वार्ड शिबिर [13 से 16 अंश]  
(14 अंश - डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर जयंती का दिन छोड़कर)

6 मिडल कोल नंबर एवं डिस्क्रेटरी [10 अंश]

7 Op-Ed लेख का प्रकाशन [10 अंश]

8 कलात्मक नवाचार [अभियान के दौरान]

9 गरी महिला पढ़ाई और सामर्थ्य प्रकल्प

[11 अक्षर]

10

सत्य प्रयोग  
[अभियान के दौरान]

अपने विचार निरभे एवं नारी शक्ति चंचल अभियोग के समर्थन में उद्घोषण करने का वादा किया जाएगा

कम से कम 50 महिला फौज, हॉस्टल, महाविद्यालयों आदि पर सत्य प्रयोग घनाई जाएगी। इस गतिविधि में बैनर और कार्ड का प्रयोग भी किया जाएगा।

11

सोशल मीडिया अभियान  
[10 अक्षर]

• सभी जनसंपर्क कार्यक्रम और टाउनहॉल, सम्मेलन, परवसात्र, कवि संकल्पों और कार्ड का प्रयोग किया जाएगा

• इसके गतिरिक्त ट्विटर, बैनर के माध्यम से भी अभियोग का प्रचार किया जाएगा

• सूचना एवं प्रसारण यंत्रण के माध्यम से व्यापक सोशल मीडिया अभियान चलाया जाएगा

• प्रदेश संगठन भी टीम मीट, वॉक्स-पॉप वीडियो और पॉस्टराड आदि के माध्यम से सोशल मीडिया अभियान चलाने की योजना बनाए

• प्रतिष्ठित व्यक्तियों के कम से कम 500 वीडियो इस अभियोग की सफलता बढ़ते हुए बनाए जाएं और उन व्यक्तियों और राजपा के सोशल मीडिया व्यंजनों से पोस्ट किए जाएं

12

राज्य विकासों द्वारा प्रस्ताव  
[19 से 20 अक्षर]

• स्थानीय विकास, नगर विकास, नगर पालिका, जिला परिषद आदि द्वारा इस ऐतिहासिक विधेयक की सहायता करते हुए प्रस्ताव पारित किया जाएगा

• इस प्रस्ताव की प्रति स्थानीय प्रशासकीय जी को भी भेजी जाएगी

प्रदेश सरकार एवं संगठन सूचना विभाग

सूचना एवं प्रसारण  
मंत्रालय

राजपा संगठन

राज्य शांति प्रदेशों में  
प्रदेश गहरी

विकास/पंचायती

राजस्थानीय विधान

गवी

अन्य प्रदेशों में प्रदेश

द्वारा नियुक्त परिषद

मान्य नेता

नोट 1: सभी जनसंपर्क कार्यक्रमों में जनहस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा जिससे अधिक से अधिक जन-समर्थन अर्जित हो सके — टाउन-हॉल में, नारी शक्ति सम्मेलन में, नारी शक्ति प्रदर्शन में, जल-टो-अप में।

नोट 2: सभी तरह निम्न कौशल नंबर का भी हर जनसंपर्क कार्यक्रम में व्यापक प्रचार करते अधिक से अधिक मित्र कौशल के माध्यम से जनसमर्थन प्राप्त करना है — प्रेस कॉन्फ्रेंस में, टाउन-हॉल में, नारी शक्ति सम्मेलन में, नारी शक्ति प्रदर्शन में, वाइक/टी-वॉर्ड रेडी में और सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से।

नोट 3: सभी प्रदेश अभियान के शिवालय के लिए प्रदेश स्तर की 5 टीमों की टोली कति-धीम बनाकर केंद्रीय कार्यालय भेजी। जिन प्रदेशों में पाजपा सरकार है वही, संगठन - सरकार में सम्मेलन के 2 सत्रों में 1 सत्र

राज्य का हिस्सा बनाए।